भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 890

गुरुवार, 27 जून, 2019/6 आषाढ़, 1941 (शक)

सड़क सुरक्षा हेतु एनजीओ

890. श्री कृपानाथ मल्लाहः

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विभिन्न प्रतिष्ठित संगठनों से उचित सड़क सुरक्षा सुझावों की अनदेखी करके उत्तर पूर्व राज्यों सहित देश में सड़क सुरक्षा की प्राथमिकता को कम कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के बाहरी हितधारकों के समूह के रूप में सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में कुछ गैर-सरकारी संगठन शामिल हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन एनजीओ द्वारा किये गए कार्य और इनको गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आवंटित और जारी की गई निधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख): जी, नहीं। सड़क सुरक्षा मंत्रालय की सर्वोत्तम प्राथमिकता है। मंत्रालय सड़क प्रयोक्ताओं में जागरुकता पैदा करने, चालक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना, निरीक्षण और प्रमाणन केंद्रो की स्थापना, सड़क सुरक्षा सप्ताह और ऑटोमोबाइल सुरक्षा मानकों के सुदृढ़ीकरण के लिए बहु आयामी प्रयास, सड़क संरचना में सुधार, प्रवर्तन को मजबूत करने के लिए सड़क सुरक्षा विषय पर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचार सामग्री और जागरुकता अभियान जैसी विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करता है। इसके अलावा, मंत्रालय ने 'सड़क सुरक्षा परामर्शी' लागू करने के लिए गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को वित्तीय सहायता अनुदान के लिए वर्ष 2017-18 में एक स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के तहत वित्त वर्ष 2018-19 में विभिन्न 203 गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ)/न्यासों/ सहकारी सोसायटियों के माध्यम से सड़क सुरक्षा परामर्शी कार्यक्रमों के प्रस्ताव स्वीकृत कर लिए गए हैं। इन 203 संगठनों में से 3 संगठन पूर्वोत्तर भारत के हैं।

(ग) और (घ): जी, हां। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित सहित विभिन्न गतिविधियां / कार्यक्रम करने के लिए कुछ गैर-सरकारी संगठनों को शामिल किया है:

(i) सड़क प्रयोक्ताओं के बीच सड़क सुरक्षा जागरूकता बढ़ाना;

(ii) वाणिज्यिक वाहनों के चालकों के लिए नजर की जांच / चश्मों के वितरण हेतु कैम्प आयोजित करना;

(iii) सड़क सुरक्षा पर प्रचार अभियान;

(iv) सड़क सुरक्षा पर लोकप्रिय साहित्य का प्रकाशन;

(v) स्कूल / कॉलेज के छात्रों के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं, निबंध प्रतियोगिताओं, चित्रकला प्रतियोगिताओं का आयोजन;

(vi) सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने वाली सांस्कृतिक गतिविधियां / कार्यक्रम जैसे कठपुतली शो / नाटक आदि;

(vii) सड़क सुरक्षा पर सम्मेलन आयोजित करना।

(viii) गुड समारिटन्स

(ix) कुछ गैर सरकारी संगठनों को देश के विभिन्न हिस्सों में सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के विभिन्न सड़क सुरक्षा कार्य-कलापों अर्थात् नि:शुल्क नेत्र परीक्षण शिविर, सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान आदि में शामिल किया गया है।

(ड.): इस मंत्रालय द्वारा पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अब तक सड़क सुरक्षा गतिविधियों के लिए किसी भी गैर सरकारी संगठन को कोई निधि जारी नहीं की गई है।

*****